यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22/02/2020 **दिनांक** : 06.01.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

- **8 जनवरी 2020 की देशव्यापी सार्वभौम हड़ताल की ओर आगे बढ़ें**
- **श्रम मंत्री के साथ बैठक में कोई लाभदायी परिणाम नहीं निकला**

केन्द्रीय श्रम संगठनों द्वारा 8 जनवरी, 2020 को राष्ट्रीय सार्वभौम हड़ताल के आह्वान को देखते हुए श्रम मंत्री द्वारा श्रम संगठना को वार्ता हेतु आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में काई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला, अतः 8 जनवरी को हड़ताल रहेगी। हम इस विषय में एआईबीईए द्वारा जारी परिपत्र संख्या 28/164/2020/2 दिनांक 4.1.2020 का अनूदित सार सभी इकाईओं तथा सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रह है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

8 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय सार्वभौम हड़ताल
श्रम मंत्री द्वारा केन्द्रीय श्रम संगठनों को आमंत्रित किया गया
कोई लाभदायी परिणाम नहीं – हड़ताल रहेगी
एआईबीईए–एआईबीओए–बैफी–इन्बैफ–इन्बौक द्वारा संयुक्त परिपत्र

संयुक्त परिपत्र : ''8 जनवरी 2020 को सार्वभौम हड़ताल के आह्वान की पृष्ठभूमि में, श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार ने 2.1.2020 को केन्द्रीय श्रम संगठनों के नेताओं को आमंत्रित किया।

बैठक में, श्रम मंत्री ने कहा कि भारत सरकार कामगारों के कल्याण के लिए सभी कदम उठा रही है और श्रम संहिताओं पर कानून उसी का एक हिस्सा है।

श्रम संगठनों के संयुक्त मंच के घटकों नामतः एटक, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ और यूटीयूसी जो बैठक में मौजूद थे, ने मंत्री के कथन का दृढ़तापूर्वक खंडन

जारी पृष्ठ 2

और विरोध किया और कहा कि सम्पूर्ण श्रम संहितायें कामगारों पर दासता थोपने को एक रूपरेखा हैं और यह देश के श्रम संगठन आंदोलन को स्वीकार्य नहीं है और वे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे।

श्रम सगठनों के संयुक्त मंच ने इंटक को नजरअंदाज करने के मुद्दे को दृढ़तापूर्वक उठाया और श्रम संगठनों में चयनात्मक प्रतिद्वंदिता पैदा करने के लिए सरकार के राजनीतिक कदम की कड़ी निंदा की।

ऑटो क्षेत्र के मुद्दों विशेष रूप से गुड़गांव में होंडा नियोक्ता के हमलों, अवैध अनुचित व्यवहार जैसे कि मान्यता प्राप्त श्रम संगठन के नेतृत्व का निलंबन और दो माह से नौकरी पर हजारों ठेका कामगारों को अनुमति नहीं देना आदि को भी मंत्री के समक्ष उठाया गया।

केन्द्रीय श्रम संगठनों द्वारा निरंतर उठाए गए मुद्दों, जिसमें बेरोजगारी, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा के बुनियादी मुद्दे और 14 सूत्रीय मांग पत्र शामिल है, में से किसी को भी मंत्री द्वारा संबोधित नहीं किया गया।

सभी लोकतांत्रिक परंपराओं को समाप्त करते हुए, सरकार ने 2015 के बाद से त्रिपक्षीय भारतीय श्रम सम्मेलन नहीं बुलाया है।

यूनियनों ने आगे कहा कि अन्य मुद्दों के साथ, सरकार की इस तरह की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरूद्ध, केन्द्रीय श्रम संगठनों ने 8 जनवरी 2020 को देशव्यापी सार्वभौम हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है और हड़ताल रहेगी।

देश के छात्रों, बेरोजगार युवाओं, किसानों और देशभक्त जनता सहित कामगार वर्ग के विभिन्न वर्गों के सक्रिय समर्थन से पूरे देश में बड़े पैमाने पर हड़ताल होने जा रही है।

केन्द्रीय श्रम संगठनों ने आगे सूचित किया कि सरकार को संदेश पर विचार करना चाहिए और अपने तरीकों को सुधारना चाहिए और श्रमिक–विरोधी, जन–विरोधी, राष्ट्र–विरोधी कदमों और नीतियों को बदलना चाहिए।

ह... एआईबीईए – एआईबीओए – बैफी – इन्बैफ – इन्बौक ''

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

- **ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फैडरेशन (आईबौक)** ने 8 जनवरी, 2020 की देशव्यापी हड़ताल को भ्रातृत्व समर्थन देते हुए अपना परिपत्र संख्या 2019/80 दिनांक 31.12.2019 जारी किया है और अपने संबद्ध संगठनों को सलाह दी है कि उनके सदस्य किसी भी चाबी की मांग नहीं करेंगे या स्वीकार नहीं करेंगे और हड़ताल के दिन कोई भी लिपिकीय कार्य नहीं करेंगे।